उत्तर प्रदेश शासन,
ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1
संख्या-36/2017/1463/92-1-2017-08(अधि0)/2017
लखनऊ: दिनांक: 30 मई, 2017

कार्यालय-ज्ञाप

तात्कालिक प्रभाव से ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के निम्नलिखित नव प्रोन्नत अधिशासी अभियंताओं को अधोतालिका के स्तम्भ सं0-3 में उल्लिखित उनकी वर्तमान तैनाती के स्थान से शासकीय कार्यहित /जनहित में स्थानांतरित करते हुये एतद्द्वारा अधोतालिका के स्तम्भ-4 में उल्लिखित स्थान पर अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के पद पर तैनात किया जाता है तथा कतिपय अधिशासी अभियंताओं को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-5 में अंकित प्रखण्ड/पीआईयू का अतिरिक्त प्रभार प्रदान किया जाता है :-

क्र0सं0	नाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती	
			तैनाती स्थान	अतिरिक्त प्रभार
1	2	3	4	5
1-	श्री माया राम वर्मा	सम्बद्ध मुख्यालय	पीआईयू-जौनपुर	प्रखण्ड-जौनपुर
2-	श्री दबीरूद्दीन	सम्बद्ध मुख्यालय	प्रखण्ड-शाहजहॉपुर	-
3-	श्री रविकान्त वर्मा	सम्बद्ध मुख्यालय	पीआईयू-पीलीभीत	प्रखण्ड-पीलीभीत
4-	श्री ईशम सिंह	सम्बद्ध मुख्यालय	सीतापुर	-
5-	श्री अशोक	सम्बद्ध मुख्यालय	प्रखण्ड-सुलतानपुर	-
6-	श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह	सम्बद्ध मुख्यालय	प्रखण्ड-गोरखपुर	-
7-	श्री जियाउर्रहमान खॉ	सम्बद्ध मुख्यालय	प्रखण्ड-हरदोई	-
8-	श्री मो0 इरफान	सम्बद्ध मुख्यालय	प्रखण्ड-सहारनपुर	-
9-	श्री राजित राम	सम्बद्ध मुख्यालय	पीआईयू-मिर्जापुर	प्रखण्ड-मिर्जापुर
10-	श्री वीरेन्द्र कुमार पाण्डेय	सम्बद्ध मुख्यालय	मुख्यालय	-
11-	श्री राकेश कुमार जैन	मथुरा	प्रखण्ड-गौतमबुद्ध नगर	-
12-	श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र स्व0 प्रताप सिंह	कन्नौज	पीआईयू-मथुरा	प्रखण्ड-मथुरा
13-	श्री बाबू राम साहु	पीआईयू-रायबरेली	प्रखण्ड-झॉसी	-
14-	श्री जवाहर सिंह	प्रखण्ड-सहारनपुर	प्रखण्ड-आगरा	-
15-	श्री शिव शंकर	प्रखण्ड-महराजगंज	प्रखण्ड-महराजगंज	प्रखण्ड/पीआईयू-सिद्धार्थनगर

2- उपरोक्त अधिशासी अभियंताओं को निर्देशित किया जाता है कि वे अपनी वर्तमान तैनाती के स्थान से तत्काल कार्यमुक्त होकर नवीन तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण कर, कार्यभार प्रमाणक की प्रति शासन को शीघ्र उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।

3- उक्त अतिरिक्त कार्यभार अत्यन्त अस्थाई प्रबन्धन व्यवस्था के अन्तर्गत है एवं उक्त अतिरिक्त कार्यभार हेतु उन्हें कोई अतिरिक्त वेतन भत्ता आदि देय नहीं होगा।

बाबू राम
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-36/2017/1463(1)/92-1-2017, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।

2- संबंधित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी/कोषाधिकारी।

3- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

4- मुख्य अभियंता (पूर्वी/पश्चिमी), ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

5- वित्त नियंत्रक, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

6- सम्बन्धित अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग।

7- संबंधित अधिशासी अभियंता द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

8- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2

9- कम्प्यूटर अंकन प्रति।

10- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राम रतन)
उप सचिव!

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।